कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सुलतानपुर

पत्रांक : 1349 / 14–10 सुलतानपुर दिनांक 21 नवम्बर 2016

सेवा में,

टेरिटरी मैनेजर, (रिटेल)

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड,

गोरखपुर।

विषय :– जनपद सुलतानपुर में वाराणसी–लखनऊ रा0 रा0 मार्ग संख्या–731 (पुराना एन0एच0–56) पर स्टोन किमी0 संख्या–57 से 59 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम– आनापुर, नरायनगंज, भूखण्ड संख्या–596 व 597 तथा ग्राम–शेरपुर परसरामपुर भूखण्ड संख्या–158 परगना–चांदा, तहसील–लम्भुआ, जनपद–सुलतानपुर बी0पी0 सी0एल0 का पेट्रोल/डीजल का रिटेल आउटलेट श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री सत्य नारायण सिंह निवासी ग्राम–जलालपुर, पोस्ट–कादीपुर खुर्द, जिला–सुलतानपुर की डीलरशिप स्थापित किये जाने हेतु मार्ग से पेट्रोल पम्प स्थल तक आवागमन हेतु 0.15481 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–विशेष सचिव उ0प्र0 शासन का पत्रांक सं0–पी0–161/14–2–2016–800 (156)/2016 दिनांक 18 नवम्बर, 2016 एंव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधि0 उ0 प्र0,लखनऊ का पत्रांक 1076/11–सी0–एफ0पी0/यू0पी0/अदर्स/7610/2014 लखनऊ दिनांक 18–11–2016

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करे जो आपको पृष्ठांकित है। उक्त पत्र द्वारा विशेष सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा कतिपय शर्तो के साथ प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के प्रवेश व निकास मार्ग हेतु संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान की गयी है। अतः उक्त शर्तो को पूरा करने हेतु निम्न प्रकार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1. **शर्त संख्या 1**–इस आशय की वचनवद्धता कि वनभूमि के एक्सीलेशन/डी–एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं मंत्रालय के द्वारा जारी गाइड लाइन्स दिनांक 24.07.2013 के अन्तर्गत ले–आउट प्लान के आधार पर होगा।
2. **शर्त संख्या 2**–सड़क के किनारे वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाँया जाय जिसमें फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो (सम्बन्धित सहमति पत्र)
3. **शर्त संख्या 3**–फ्यूल स्टेशन में पूरे परिसर में कम दूरी पर (1 X 1.5) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाय जो बाहरी दीवाल से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा वह फ्यूल स्टशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा, (सम्बन्धित सहमति पत्र)
4. **शर्त संख्या 4**–सम्पर्क मार्ग से सेप्रेटर आइसलैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू हो) के अतिरिक्त होगा। (सम्बन्धित सहमति पत्र।)

कृ0 प0 उ0 पेज–2

5. **शर्त संख्या 5**–प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वनभूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 1.00 हे0 से कम होगा. (सम्बन्धित सहमति पत्र)

6. **शर्त संख्या 6**–इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (नीड बेस्ड) होगा. (सम्बन्धित सहमति पत्र)

7. **शर्त संख्या 7**–माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V.) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूरक पौधारोपण, निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation fund, management & planning authority) में जमा किया जाना है। अतः निम्न प्रकार बैंक ड्राफ्ट/चेक/ आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25230, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–2 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स फेज–1 लोधी रोड़ नई दिल्ली के पक्ष में बनवाकर प्रस्तुत करें।

क0सं0	विवरण	मद	प्रस्तावित धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.15481 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य (6.26 लाख प्रति हे0 की दर से)	(N.P.V.) शुद्ध वर्तमान मूल्य	96,911.00
2	शर्त संख्या–27 के अनुपालन में 100 पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रख रखाव।	(C.A.) क्षतिपूरक वृक्षारोपण	53,671.00
	योग– (एक लाख पचास हजार पाँच सौ बयासी मात्र)		1,50,582.00

8. **शर्त संख्या 8**–उपरोक्त आदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी–25230 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–2 भूतल, सी0 जी0 ओ0 काम्प्लेक्स फेज–1 लोधी रोड़ नई दिल्ली के पक्ष में बनवाकर प्रस्तुत करें।

9. **शर्त संख्या 9**–वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा (सम्बन्धित सहमति पत्र)

10. **शर्त संख्या 11**–प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस–पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फाउना (वन्य जीव) के संरक्षण (सम्बन्धी सहमति पत्र)

कृ0 प0 उ0 पेज–3

11. **शर्त संख्या 12**–प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने (सम्बन्धित सहमति पत्र)

12–**शर्त संख्या–13**–प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे। यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा, (सम्बन्धित सहमति पत्र)

13–**शर्त संख्या 14**–उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तक तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी, (सम्बन्धित सहमति पत्र)

14–**शर्त संख्या 15**–भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007 एफ0सी0 (P.T.) दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या–आई–11013/41/2006–ए–एच 9 (I) दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्यजीव की दृष्टि से स्टैण्डिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है (सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र)

15– **शर्त संख्या 16**–उक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशो/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिए आवश्यक हो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा, (सम्बन्धित सहमति पत्र)

16–**शर्त संख्या 18**–इस आशय की वचनवद्धता कि यदि इस अवधि में एन0पी0वी0 संशोधित होती है तों बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

17–**शर्त संख्या 19**–इस आशय की वचनवद्धता कि यदि प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव विहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है। यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित हैं तो मा0 उच्च न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

18– **शर्त संख्या 22**–इस आशय की वचनवद्धता कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

कृ0 प0 उ0 पेज–4

19–**शर्त संख्या 23**–इस आशय की वचनवद्धता कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

20–**शर्त संख्या 24**–इस आशय की वचनवद्धता कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 11.07.2014 व 21.08.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

21–**शर्त संख्या 25**–पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–9/98 एफ0सी0 दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा निदशों के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें। जिससे वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।

22–**शर्त संख्या 26**–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र संख्या–एफ0एन0 संख्या–11–268/2014 एफ0सी0 दिनांक 11.07.2014 के नये दिशा निर्देशों के अनुसार परियोजना का ले आउट प्लान प्रस्तुत करें।

23–**शर्त संख्या 27**–100 पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव सम्बन्धित धनराशि प्रस्तुत करें।

24–**शर्त संख्या 28**– वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय का हित प्रभावित नहीं हो रहा है से सम्बन्धित जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

25–**शर्त संख्या 29**–प्रयोक्ता एजेन्सी उपरोक्तानुसार शर्तो का अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने सम्बन्धित सहमति।

भवदीय

(के0सी0 वाजपेयी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सुलतानपुर

संख्या / समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2–वन संरक्षक, सरयू वृत्त, फैजाबाद।

(के0सी0 वाजपेयी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सुलतानपुर